



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम
सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)



टेलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/.....1069
प्रति,

रतलाम, दिनांक : 24-03-2022

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग,
जिला-रतलाम

विषय :- रतलाम जिले में रतलाम-मोरवानी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/44455/2020)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB-004/2022-BHO दिनांक 25-02-2022 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1087/2021/10-11/730 दिनांक 02-03-2022, 1036 दिनांक 17-03-2022

-0-

विषयांकित में लेख है कि संदर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा आपके द्वारा प्रस्तावित प्रकरण FP/MP/ROAD/44455/2020में रतलाम-मोरवानी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि में वनक्षेत्र का कुछ भाग शामिल नहीं किये जाने से आपत्ति ली गई है।

जिसकी जाँच वनपरिक्षेत्राधिकारी बाजना/शिवगढ़ से आपके संयुक्त निरीक्षण में कराया जाकर प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन अनुसार में प्रकरण के प्रस्ताव पूर्व कार्य आयोजना अनुसार तैयार किये गये थे। किन्तु नवीन प्रचलित कार्यआयोजना के डिजीटल मानचित्र अनुसार प्रस्तावित के.एम.एल. फाईल वनक्षेत्र के साथ गैर वन भूमि भी प्रभावित होना पाई गई है। वर्तमान में प्रकरण में वनपरिक्षेत्र बाजना के वनकक्ष क्र. पी-70 (भाग-1) में लम्बाई 1494 मीटर, वनकक्ष क्र. पी-70 (भाग-2) में लम्बाई 92 मीटर, वनकक्ष क्र. पी-69 में लम्बाई 1200 मीटर, वनकक्ष क्र. पी-77 में लम्बाई 674 मीटर, वनकक्ष क्र. पी-76 (भाग-1) में लम्बाई 486 मीटर, एवं वनपरिक्षेत्र शिवगढ़ वनकक्ष क्र. पी-51, 52 में लम्बाई 3200 मीटर, इस प्रकार कुल लम्बाई 7146 मीटर प्रभावित होना पाई गई है। पूर्व प्रस्ताव में वनक्षेत्र मार्ग की चौड़ाई दोनों ओर 7.25 मीटर दर्शाई गई थी, जिसके अनुसार प्रकरण में प्रभावित वनभूमि का 4.977 हेक्टेयर से अधिक होना पाई गई है। जिससे प्रकरण में आवश्यक पूर्ति इस विभाग द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग-2 में पूर्ति किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया आप ऑनलाईन प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र को संशोधित कर प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक/मा.चि./2022/.....1070
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक : 24-03-2022

01 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की ओर संदर्भित पत्र के तारत्म्य में सूचनार्थ।

02 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम